



राजस्थान सरकार
कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(4)(क.लि.)(सीधी भर्ती)नि.कृ/1726-46
आदेश

दिनांक : 24-04-17

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्रांक पं.1(2)प्र0सु0/अनु-3/2016 दिनांक 06.03.2017 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2011 में अधीनस्थ कार्यालयों हेतु आयोजित कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को लिपिक ग्रेड-आ के पद पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप इनको अस्थाई आधार पर लिपिक ग्रेड-आ के पद पर 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियत पारिश्रमिक 8910/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात् पे बैंड 5200-20200 (ग्रेड पे 2400/-) अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से लिपिक ग्रेड-आ के पद पर नियुक्ति की जाती है। अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति कृषि निदेशालय, राज0 जयपुर में प्रस्तुत करेंगे। इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पुलिस विभाग से पूर्वाचरण रिपोर्ट एवं राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत प्राप्त स्वास्थ्य पत्रों के आधार पर की जा रही है:-

क्र. सं.	नाम एवं स्थाई पता	गृह जिला	वर्ग	मेरिट नं0	रोल नं0	जन्म तिथि
1	श्री भूपेन्द्र शर्मा, पुत्र श्री महेश चन्द शर्मा, गांव सोनपाल का पुरा, पोस्ट सोमला, तहसील हिन्डौनसिटी, जिला करौली। पिन कोड नं. 322252	करौली	Gen	706	205129	20.07.1984
2	श्री नरेन्द्र सिंह, पुत्र श्री अन्ने सिंह, न्यू जोगमाया मन्दिर के पास, पुरानी बस्ती सूथला,नियर बाई सरस्वती किराना स्टोर, सूथला, जोधपुर। पिन कोड नं. 342008	जोधपुर	OBC	914	407317	31.01.1981
3	श्री अमित कुमार पाठक, पुत्र श्री राधेश्याम पाठक, ग्राम बहादुरपुर पोस्ट जटनंगला, वाया ढिढोरा, तहसील हिन्डौनसिटी, जिला करौली। पिन कोड नं. 322236	करौली	Gen	1081	749725	24.04.1984
4	श्री विमल चन्द जैन पुत्र श्री पदम चन्द जैन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास, वनस्थली, तहसील निवाई, जिला टोंक पिन कोड नं. 304022	टोंक	Gen	1089	713809	06.09.1982
5	श्री राहुल कुमार गुप्ता, पुत्र श्री महेश चन्द गुप्ता, मकान नं0 83, सलूजा नर्सिंग होम के सामने, राजेन्द्र नगर, भरतपुर। पिन कोड नं. 321001	भरतपुर	Gen	1105	207645	25.12.1980
6	श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा गोपीनाथ मौहल्ला कामां, जिला भरतपुर पिन कोड नं. 321022	भरतपुर	Gen	1110	207337	10.07.1986

कृ

7	श्री गौरव मिश्रा पुत्र श्री नागर मल मिश्रा विश्वकर्मा मन्दिर के पास, न्यू कॉलोनी, कुचामनसिटी, जिला नागौर पिन कोड नं. 341508	नागौर	Gen	1132	768253	06.02.1984
8	श्री विशाल शर्मा पुत्र श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा मकान नं0 812, महावीर नगर द्वितीय, कोटा पिन कोड नं. 324005	कोटा	Gen	1141	500179	01.04.1979
9	श्री पीयूष कुमार बदर पुत्र श्री वासुदेव बदर ग्राम पोस्ट श्री बालाजी, जिला नागौर। पिन कोड नं. 341029	नागौर	Gen	1148	305051	14.12.1992
10	श्री ललित किशोर पाण्डेय पुत्र श्री निरंजन लाल पाण्डेय बंशी विहार कॉलोनी, विद्यापीठ के पास भुसावर, तहसील भुसावर, जिला भरतपुर। पिन कोड नं. 321406	भरतपुर	Gen	1158	204993	25.10.1988
11	श्री विकास सिंधल पुत्र दुर्गा प्रसाद सिंधल मकान नं0 1506/42, गणेश नगर, मेयो कॉलेज के पीछे, धोला भाटा, अजमेर। पिन कोड नं. 305007	अजमेर	Gen	1165	103734	16.08.1982
12	श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री साहब सिंह शर्मा मकान नं0 186 तिलक नगर, हीरादास के पास, भरतपुर। पिन कोड नं. 321001	भरतपुर	Gen	1172	206176	03.05.1983
13	श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री नन्द लाल शर्मा ग्राम पोस्ट तीतरवाडा, वाया कुण्डल, तहसील व जिला दौसा। पिन कोड नं.303325	दौसा	Gen	1175	757288	10.07.1987

- उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 30 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, वे पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
- अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड-11 के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना प.12 (6) वित्त/नियम/05 दि0 13.03.2006, 6(6)वित्त/नियम/2005 दि0 13.03.2006, 1(2) वित्त./नियम/2006 दि0 13.03.2006, 13(1) वित्त/नियम/2003 दि0 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दि0 12.09.2008 के नियम 21 व परिशिष्ट-पअ तथा वित्त (नियम) विभाग के अधिसूचना संख्या एफ.14 (1)एफ.डी. (रूल्स)/2013-11 दिनांक 28.06.13/एवं 08.06.2015 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान- किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। साथ ही



परीक्षाकाल अवधि में इन्हें प्रतिवर्ष 12 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।

4. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थाई आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको लिपिक ग्रेड-II के पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
7. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण करते हुए नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
8. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं० एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दि० 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हों, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत हैं उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं, तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
12. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :-


1. उक्त अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जांच निदेशालय स्तर पर की जाकर इनकी निजी पत्रावलियों में संधारित कर लिये गये हैं।
2. सम्बन्धित अधिकारी अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का पुनः सत्यापन कर उपस्थिति स्वीकार करे। तत्पश्चात् सेवाभिलेख का संधारण करे तथा दस्तावेजों की एक-एक प्रमाणित प्रति निजी पत्रावली में रखे।
3. मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त सेवा पुस्तिका में शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि का स्पष्ट अंकन किया जावे। राज्य से बाहर के शैक्षणिक बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/अंक तालिकाओं/उपाधियों का सत्यापन संबंधित अभ्यर्थी की उपस्थिति लेने के पश्चात् बोर्ड/विश्वविद्यालय से करवाया जाना अनिवार्य है।

M 24.4.17

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक, कृषि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज0 जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग को उनके पत्रांक पं.1(2) प्र0सु0/अनु-3/2016 दिनांक 23.01.2017 के संदर्भ में।
4. निदेशक, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर कृषया लिपिक ग्रेड-11 के पद पर नियुक्त कार्मिकों के लिए एक सप्ताह का ओरियन्टेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर प्रशिक्षण प्रदान करें।
5. श्री.....
को भेजकर लेख है कि अपनी उपस्थिति कृषि निदेशालय, राज0 जयपुर में प्रस्तुत करें।
6. निजी/आरक्षी पत्रावली



(सोमेन्द्र शर्मा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)